फसल बीमा योजना

344. **श्री बी० एन० मंडल :**
श्री नागेश्वर प्रसाद शाही :
श्री सीताराम सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अप्रैल और मई के महीनों में हुई बेमौसम वर्षा के कारण उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में खलिहानों में पड़ी फसल तथा अनाजों को कितनी क्षति पहुंची;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार उक्त क्षति की पूर्ति करने के लिए कोई प्रबन्ध करने का विचार रखती है; और

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए फसल बीमा योजना आरम्भ करने का विचार रखती है ?

CROP INSURANCE SCHEME

344. SHRI B. N. MANDAL :
SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI :
SHRI SITARAM SINGH :

Will the Minister of AGRICULTURE/**कृषि मंत्री** be pleased to state :

(a) the extent of damage caused to crops and food grains stored in granary in U. P. and Bihar States due to untimely rains in the months of April and May this year;

(b) whether Central Government propose to make any arrangements to compensate for the said loss; and

(c) whether Government propose to introduce Crop Insurance Scheme to safeguard against such calamities?]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, खेरी, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, गोंडा, टेहरी-गढ़वाल पिठौरगढ़ तथा फरुखाबाद के जिलों में अप्रैल, 1971 के दौरान असामयिक वर्षा द्वारा खड़ी तथा कटी हुई रबी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है । यह भी सूचित किया गया है कि मई, 1971 में वर्षा के कारण खलिहानों में पड़ी हुई फसलों को लगभग 20-25 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा है ।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि अप्रैल-मई की असामयिक वर्षा के फलस्वरूप रबी की अनुमानित $\frac{1}{3}$ उपज पूर्णतः नष्ट हो गई है और शेष उपज का बाजार मूल्य 30 प्रतिशत तक कम हो गया है ।

(ख) उत्पादकों को राहत देने के लिये सरकार ने वर्षा से क्षतिग्रस्त गेहूं की खरीद करने के सम्बन्ध में गेहूं की अधिप्राप्ति के लिये विशिष्टियां शिथिल की हैं । आशा की जाती है कि शिथिल की गई विशिष्टी के अन्तर्गत वर्षा से क्षतिग्रस्त अनाज की काफी बड़ी मात्रा अधिप्राप्त करना सम्भव होगा ।

प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत देने के लिये बिहार सरकार ने सहायता मांगी है । एक केन्द्रीय अध्ययन दल जल्दी ही इस राज्य का दौरा करेगा और दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क राहत देने के लिए 16,22,400 रुपये तथा तकावी के

† [ ] English translation.

रूप में वितरण करने के लिए 1,35,00,000 रुपये की राशि आवंटित की है ।

(ग) आर्थिक, प्रशासनिक, बीमा सम्बन्धी तथा योजना की अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में, फसल बीमा का पूरा प्रश्न विशेषज्ञ समिति के जांचाधीन है । इस सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट का प्रतिक्षा है ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE/**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री** (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) ; (a) The U. P. Government have intimated that wide-spread damage has been caused to standing as well as harvested Rabi crops by untimely rains in April, 1971 in the Districts of Gorakhpur, Basti Azamgarh, Deoria, Kheri, Bahraich, Sultanpur, Pratapgarh, Faizabad, Gonda, Tehri. Garhwal, Pithoragarh. and Furrukhabad. It has further been reported that rains in May 1971 have caused damage to crops lying on the threshing floor to the extent of about 20-25 percent.

The Government of Bihar have intimated that as a result of April-May untimely rains, one third of the estimated Rabi produce has been completely destroyed and that of the remaining produce, the market value has been reduced by 30 per cent.

(b) In order to give relief to the producers, Government have relaxed the specifications for procurement for wheat in order to facilitate purchases of the rain-damaged wheat. It is expected that it would be possible to procure a very substantial quantity of the rain-damaged grain under the relaxed specification.

Bihar Government have asked for help for giving relief to the people in the affected areas. A Central Study Team is to visit this State soon and necessary action will be taken on the receipt of the Team's report.

The U.P. Government have allotted Rs. 16,22,400 for distribution of gratuitous relief and a sum of Rs. 1,35,00,000 for distribution as Takavi.

(c) The whole question of Crop Insurance is under examination by an expert committee in respect of the economic, administrative, actuarial and other implications of the scheme. The report of the committee in this regard is awaited.]

†WORKERS' PARTICIPATION IN MANAGEMENT OF PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

33. SHRI SITARAM JAIPURIA :
DR. B. N. ANTANI :
SHRI MAN SINGH VARMA :
SHRI T. V. ANANDAN :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION/**श्रम और पुनर्वास मंत्री** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have under consideration a scheme for workers in public sector undertakings for enabling them to participate in the management of the undertakings; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION/**श्रम और पुनर्वास मंत्री** (SHRI R.K. KHADILKAR) : (a) Yes, Sir.

(b) Apart from the statutory Works Committees the scheme of Joint Management Councils has been in

† [ ] English translation.
Transferred from the 24th May, 1971